

संशोधित अंतिम डिक्री मुकदमा  
(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. प्रताप पुत्र औंकार
2. राजू पुत्र औंकार जाति बलाई निवासीगण सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा  
- वादीगण

बनाम

1. मोहन पुत्र लक्ष्मण
2. घांसी पुत्र लक्ष्मण
3. पप्पू पुत्र लक्ष्मण
4. धन्ना पुत्र लक्ष्मण
5. महावीर पुत्र लक्ष्मण
6. पांची बाई पुत्री लक्ष्मण (डिलीट)
7. नन्द कंवरी बेवा लक्ष्मण जाति बलाई निवासीगण सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा  
- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53-188 आरटीएक्ट  
मिसल नम्बर-69/12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी श्री रघुवीर वैष्णव एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री आविद खान एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि "वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 16 रकबा 0.61 हे0, ख0नं0 23 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 970 रकबा 0.05 हे0 कुल कित्ता 3 रकबा 0.89 हे0 भूमि का तहसीलदार दीगोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार एवं उभयपक्ष की सहमति से राजस्व रिकॉर्ड में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है-

क्र0सं0	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	लगान
1.	बजरंगलाल प्रताप गज्जू पुत्रान औंकार जाति मेघवाल सा0 देह	16 पश्चिम 23 पश्चिम 970 उत्तरी-पश्चिम	0.30 हे0 0.12 हे0 0.03 हे0	8.10 0.96 0.09

अंतिम डिक्री मुकदमा  
(आ 20 जन 0 7 11 01)

2.	मोहन घांसी पप्पू	16/1 पूर्वी	0.31 हे०	8.37
	धन्ना पुत्रान पांची	23/1 पूर्वी	0.11 हे०	0.88
	पुत्री लक्ष्मण हि०			
	5/7 महावीर पुत्र	970/1	0.02 हे०	0.12
	लक्ष्मण हि० 2/7			
	जाति मेघवाल सा०			
	देह			

तदनुसार संशोधित अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 25.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत०	0	0	मुत०	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

(तारासती वैष्णव)  
सहायक कलक्टर,  
दीगोद